-::विज्ञापन::-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा, पाली एवं करतला के लिए पैरालीगल वॉलिंटियर्स की भर्ती हेतु विज्ञापन, जिसमें क्षेत्रवार पदों की संख्या निम्नानुसार है-

क्रमांक	प्राधिकरण/समिति का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा	50
2	तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा	25
3	तालुका विधिक सेवा समिति करतला	25
4	तालुका विधिक सेवा समिति पाली	25

विज्ञापन प्रकाशन दिनांक	17.03.2026
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	17.03.2026
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30.03.2026

आवेदन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा को सम्बोधित एक बंद लिफाफे में निर्धारित प्रारूप पर वांछित दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा में रखे "ड्रॉप बॉक्स" के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि दिनांक 30.03.2026 को शाम 05.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्रत्येक कार्यालयीन समय में सुबह 11.00 बजे से 05.00 बजे तक जिला विधिक सेवा कार्यालय कोरबा के ड्रॉप बॉक्स में डाले जा सकेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नई-दिल्ली, माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय विधिक सेवा समति बिलासपुर, छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकारण कोरबा एवं इस जिले से सम्बद्ध तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत आयोजित होने वाले विधिक सेवा संबंधी कार्य में इस इस प्राधिकरण के नियमों एवं शर्तों के अधीन तथा इस प्राधिकरण द्वारा निर्देशित स्थान व समय पर पैरालीगल वालिंटियर्स के रूप में सेवाएं/

सहयोग प्रदान करने ऐसे इच्छुक व्यक्ति/आवेदक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा जो कम्प्यूटर में व्यवहारिक ज्ञान रखते हो, से निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण टीपः-

1. आवेदन-पत्र उक्त विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही निर्धारित अवधि दिनांक 30.03.2026 के समय 05.00 बजे तक (कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा में रखे "ड्रॉप बॉक्स" के माध्यम से) ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र में आवेदक का पूर्ण नाम लिखा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर दिनांक सहित स्वप्रमाणित एक नग रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा होना चाहिए तथा एक नग फोटो पृथक से आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है। जिसमें दिनांक व नाम Capital Letter में लिखा हो।
3. शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक)/सेवा निवृत्त शासकीय सेवक/वरिष्ठ नागरिक/विधि महाविद्यालय/एम०एस०डब्ल्यू विद्यार्थी व शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉ०/फिजिशियन/विश्वविद्यालय के विद्यार्थी (जो अधिवक्ता के रूप में कार्यरत न हो)/ राजनैतिक पार्टी से असंबंद्ध सदस्य अशासकीय एन०जी०ओ० भी आवेदन कर सकते हैं।
4. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
5. आवेदक की उम्र विज्ञापन दिनांक की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिले का निवासी होना चाहिए।
7. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।
8. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना हस्ताक्षर, बिना फोटोग्राफ्स तथा उचित दस्तावेज के अभाव में प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।
9. आवेदक का पैरालीगल वॉलिंटियर के रूप में नामित/चयन होना कोई नियमित/ अनियमित शासकीय सेवा कदापि नहीं है। आवेदक का पैरालीगल वॉलिंटियर्स के रूप में नामित/चयन होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सक्रियता से कार्य का संपादन करना सुनिश्चित किया जायेगा। पैरालीगल वालिंटियर को उनकी दी गयी सेवाओं के फलस्वरूप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर

तय किये गये निर्धारित मानदेय अनुसार उचित माध्यम से भुगतान किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि "The Work of PLVs does not carry any Salary remuneration or wages except honorarium fixed by the SLSA from time to time." चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से संपादित की जावेगी, साक्षात्कार को चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

10. आवेदक का पैरालीगल वॉलिंटियर के रूप में नामित/चयन होना पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी परिवर्तित व किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। चयन होने के उपरांत पी०एल०व्ही० को प्राधिकरण की ओर से जो भी दायित्व सौंपा जावेगा, वह प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार एवं अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन होगा। नियुक्त होने पर कोई भी पी०एल०व्ही० प्राधिकरण के समक्ष कार्य प्राप्त करने को दावे के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

11. आवेदक के विरूद्ध किसी भी थाने में कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक मामले की सुनवाई लंबित/विचाराधीन अथवा किसी भी न्यायालय में किसी भी दांडिक मामले की सुनवाई में दंडित नहीं होनी चाहिए।

12. आवेदक के पैरालीगल वॉलिंटियर के रूप में नामित/चयनित होने उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन कराया जावेगा।

13. नामित/चयनित पैरालीगल वॉलिंटियर को किसी भी प्रकार का वेतन, भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा। पैरालीगल वॉलिंटियर को उनकी दी गयी सेवाओं के फलस्वरूप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा समय-समय पर तय किये गये निर्धारित मानदेय अनुसार समय-समय पर उचित माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

14. पैरालीगल वॉलिंटयर नामित/चयन होने संबंधी अभिलेख पैरालीगल वॉलिंटियर के नामित/चयन उपरांत 06 माह के पश्चात् विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होगा एवं पैरालीगल वॉलिटिंयर नामित/चयनित होने की प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी तथा पैरालीगल वॉलिंटियर्स नामित/चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 01(एक) माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जावेगी।

15. पैरालीगल वॉलिंटियर के नामित होने/चयनित होने संबंधी किसी भी प्रकार की शंका/अनियमितता/शिकायत/विवाद की स्थिति आने पर इसमें अंतिम निर्णय/फैसला "पैरालीगल वॉलिंटियर्स भर्ती हेतु गठित" "चयन समिति" का होगा,

जो सर्वमान्य होगा।

16. आवेदक के पैरालीगल वॉलिंटियर्स के रूप में नामित/चयनित हेतु पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ०ग०) को होगा।

17. कोई भी उम्मीदवार पूर्व से पी०एल०व्ही० के रूप में किये गये कार्य या अनुभव के आधार मात्र से पुनः चयन का हकदार नहीं होगा अथवा उक्त आधार पर प्राथमिकता दिये जाने का दावा नहीं करेगा, किंतु उक्त तथ्य चयन समिति के विवेकाधिकार के अधीन होगा।

18. साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये उम्मीदवारों की सूची जिला न्यायालय कोरबा की वेबसाईड पर अपलोड की जावेगी तथा साक्षात्कार की तिथि की घोषणा भी वेबसाईट पर की जावेगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी, अतः उम्मीदवार वेबसाईट से जानकारी लेकर साक्षात्कार हेतु स्वयं के दायित्व पर निर्धारित दिनांक व स्थान पर उपस्थित रहेंगे। उपस्थिति के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता/किराया देय नहीं होगा।

19. उम्मीदवारों से यह अपेक्षित होगा कि कोरबा, कटघोरा, करतला एवं पाली में अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों के प्राधिकरणों में सेवा देने के लिए आवेदन करे तथा संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय का नाम आवेदन में उल्लेखित करें।

एस० शर्मा
अध्यक्ष/
चयन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोरबा

पैरालीगल वॉलिंटियर हेतु सेवा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित यहां चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा,
जिला- कोरबा (छ०ग०)

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिंदी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)

4. लिंग-- पुरूष / महिला / तृतीय लिंग वर्ग

5. (अ) पिता / पति का नाम

(ब) माता का नाम

6. (अ) पत्र व्यवहार का पता

(ब) स्थायी पता

7. (अ) दूरभाष / मोबाईल नंबर

(ब) ई–मेल

8. (अ) जन्म तिथि अंकों में

(ब) जन्म तिथि शब्दों में

(स) दिनांक 16.03.2026 को आयु

वर्ष माह दिन

9. अभ्यर्थी का जाति/वर्ग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

10. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

11. (अ) क्या आवेदक कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान रखता है– हां/नहीं

(ब) अन्य योग्यता/अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

1				
2				
3				

17. सेवा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम, जो उस संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है—

1.
2.
3.

18. अन्य जानकारी—

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः—

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज एवं स्थानीय निवासी होने के संबंध में आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज, आयु के संबंध में प्रमाण पत्र

(सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए)

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

घोषणा—पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में वर्णित कंडिका कमांक 01 से 19 तक दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान में सही एवं सत्य है। मैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई—दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के नियमों एवं शर्तों के अधीन पैरालीगल वॉलिंटियर के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक/सहमत हूं। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत, असत्य एवं अपूर्ण पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी /चयन रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.......................................

नाम ....

पता ....

12. यदि अभ्यर्थी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है तो उसके कार्यालय/विभाग का नाम

13. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, यदि हां तो उस प्रकरण की जानकारी दें—

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	न्यायालय का नाम	लंबित/निराकृत की जानकारी

14. यदि अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो अंतिम पदस्थापना के स्कूल/कॉलेज का नाम

15. यदि अभ्यर्थी द्वारा सामाजिक कार्य किये जा रहे हैं/पूर्व में किये गये हों, तो उसकी जानकारी—

16. उस न्यायालय का नाम, जिसके क्षेत्राधिकार में सेवा देने हेतु आवेदन किया गया है—

1. जिला न्यायालय कोरबा
2. व्यवहार न्यायालय कटघोरा
3. व्यवहार न्यायालय करतला
4. व्यवहार न्यायालय पाली